



# कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून ।

(अनाधिकृत निर्माण/विकास कार्य ध्वस्त करने हेतु नोटिस)

पत्रांक : 8/98 / वाद सं० सी-0113/एस-डाकपत्थर/2023

दिनांक: 03/10/2023

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,  
देहरादून।

महोदय,

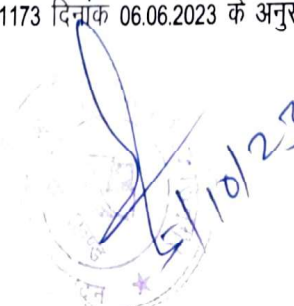
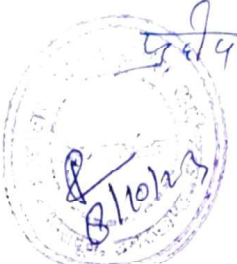
कृपया अवगत कराना है कि विपक्षी श्री विशाल शर्मा पुत्र श्री तोता राम, निवासी राजावाला, बाढ़वाला, डाकपत्थर, देहरादून द्वारा स्थल पर लगभग 04 बीघा भूमि पर अवैध प्लार्टिंग हेतु प्लॉटों का चिन्हीकरण किया गया है। मौके पर कोई स्वीकृत तलपट मानचित्र नहीं दिखाये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009, की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कारण बताओ एवं स्थल पर अवैध निर्माण कार्य को रोकने हेतु नोटिस निर्गत करते हुये वाद सं० सी-0113/एस-डाकपत्थर/2023 योजित किया गया था। उक्त अनाधिकृत/चालाशुदा प्लार्टिंग को दिनांक 25.11.23 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु संबंधित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,  
म०दे०वि०प्रा०, तहसील विकासनगर,  
जनपद-देहरादून।

- प्रतिलिपि:-
1. जिलाधिकारी महोदया, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि नियत तिथि को उक्त कार्य को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु एक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।
  2. पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु एक क्षेत्राधिकारी को नियुक्त करते हुये पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध राने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
  3. संबंधित थानाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  4. क्षेत्रीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
  5. नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जे०सी०बी० एवं ध्वस्तीकरण से संबंधित समस्त सामग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
  6. विपक्षी विपक्षी श्री विशाल शर्मा पुत्र श्री तोता राम, निवासी राजावाला, बाढ़वाला, डाकपत्थर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त चालानशुदा निर्माण/अनाधिकृत प्लार्टिंग को उपरोक्त तिथि को ध्वस्त किया जाना है। अतः नियत तिथि पर उपस्थित रहें एवं स्थल से अपना समस्त समान हटा लें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित ध्वस्तीकरण आदेश पत्र संख्या 1173 दिनांक 06.06.2023 के अनुसार यथावत रहेंगी।



उपजिलाधिकारी/पीठासीन अधिकारी,  
म०दे०वि०प्रा०, तहसील विकासनगर,  
जनपद-देहरादून।